अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/402

सीताबाई पत्नी बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलाथी

बनाम

1. बूची लाल आत्मज गणेश जाति मीना निवासी ग्राम चौमा बीबू हाल निवास मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना, कोटा ।
2. कमलेश बाई पत्नी परमानन्द मीना पुत्री बूची लाल निवासी मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 16/461

महावीर पुत्र बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलाथी

बनाम

1. बूची लाल आत्मज गणेश जाति मीना निवासी ग्राम चौमा बीबू हाल निवास मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना, कोटा ।
2. सीताबाई पत्नी बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कमलेश बाई पत्नी परमानन्द मीना पुत्री बूची लाल निवासी मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा ।

र्गत वाद संख्याः 123/दावा/2016

बूची लाल आत्मज गणेश जी जाति मीना निवासी ग्राम चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा । ---वादी

बनाम

1. सीताबाई पत्नी बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारी, दीगोद । ---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 13.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं श्री रामकल्याण शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट संख्या 16/402 एवं अपील संख्या 16/461 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 13.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/402

सीताबाई पत्नी बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बूची लाल आत्मज गणेश जाति मीना निवासी ग्राम चौमा बीबू हाल निवास मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना, कोटा ।
2. कमलेश बाई पत्नी परमानन्द मीना पुत्री बूची लाल निवासी मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 16/461

महावीर पुत्र बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बूची लाल आत्मज गणेश जाति मीना निवासी ग्राम चौमा बीबू हाल निवास मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना, कोटा ।
2. सीताबाई पत्नी बूची लाल मीना निवासी चौमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कमलेश बाई पत्नी परमानन्द मीना पुत्री बूची लाल निवासी मकान नम्बर 1 बी रंगबाडी आवास योजना कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 13.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने
2\. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने

2\. तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है।
निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3\. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 बूचीलाल ने अधीनस्थ
न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चौमा
बीबू तहसील दीगोद की आराजी कुल 04 किता की रकबा 119 बीघा 19 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में
वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज है । आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी कम 2
द्वारा किये गये भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान बिना किसी अधिकार एवं आदेश के नवीन खसरा नम्बर
413 रकबा 2.91 हैक्टर कायम कर प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो
सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । प्रतिवादी का आराजी खसरा नम्बर 413 की भूमि पर कभी भी
कब्जा नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि से उनका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ।

4\. अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की
डिकी पारित की जावे कि वादी को ग्राम चौमा बीबू गत खसरा नम्बर 189 से कायम हाल खसरा
नम्बर 413 रकबा 2.91 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी कम 1 का नाम खारिज कर
वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में व उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत न
तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

5\. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2016 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट कम 1
का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 2.91 हैक्टर में सीता
बाई पत्नी बूची लाल के स्थान पर बूची लाल पुत्र गणेश का नाम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के
आदेश पारित किये ।

6\. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी
कम 1 सीता बाई एवं महावीर दोनों ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर अपील
अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का
निवेदन किया ।

7\. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय
पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8\. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया
और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 ने शिविर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम
का अनुचित लाभ उठाते हुए अपीलान्ट को गलत तथ्य बताकर विश्वास में लेकर धोखा देकर
अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाए हैं जबकि अपीलान्ट विवादित भूमि की खातेदार व काबिज काश्त
चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय में जिस दिन वाद प्रस्तुत किया था उसी दिन उक्त वाद
का निर्णय एवं डिकी पारित कर दी जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से
निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी में से अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने से पूर्व
किसी भी प्रकार से कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । आराजी खसरा नम्बर
413 की अपीलान्ट तन्हा खातेदार है और उन्होंने उक्त भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर
दिनांक 23.12.2013 को ही अपने पुत्र महावीर के पक्ष में दान करते हुए कब्जा संभला दिया है अब
मौके पर दानग्रहिता महावीर का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने महावीर से कब्जा प्राप्त
किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिकी पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।
अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाये जाने के बावजूद भी उक्त पक्षकार को

नोटिस जारी किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी दीगोद की भूमि है जिसका पक्षकारान में आपसी सहमति से विभाजन हो गया था और विभाजन में भूमि बूची रेस्पोडेन्ट कम 1 के हिस्से में आई । उक्त भूमि बन्दोबस्त में सीताबाई के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 ने इसी सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया था कि उक्त भूमि सेटलमेंट ने गलत दर्ज कर दी जिसमें महावीर भी पक्षकार था जिसमें उसने उक्त भूमि सीताबाई द्वारा अपने पक्ष में दान करना बताया था । बूचीलाल ने लटूरी से शादी की जिसकी पुत्री कमलेश है । महावीर के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित किया है वह वोइड है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी बूचीलाल व देवलाल के खातेदारी में दर्ज थी जिसे बाद सेटलमेंट बूचीलाल एवं देवलाल के स्थान पर सीताबाई पत्नी बूची लाल के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार प्रविष्ट का कोई विधिक अधिकार नहीं था । उक्त भूमि सीताबाई ने महावीर के नाम रजिस्टर्ड गिफ्ट के दान कर दी महावीर गैलड आया था । सीताबाई को दानपत्र निष्पादन करने का कोई विधिक अधिकार होना प्रतीत नहीं होता है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 16/402 एवं अपील संख्या 16/461 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा